[1 JUNE 1995]

STATUTORY RESOLUTION SEEKING APPROVAL OF CONTINUANCE OF PROCLAMATION DATED 18TH JULY, 1990 UNDER ARTICLE 356 OF THE CONSTITUTION IN RELATION TO JAMMU AND KASHMIR FOR A FURTHER PERIOD OF SIX MONTHS FROM 18TH JULY, 1995

in the situation,.. and a wide ranging public debate was on, regarding the early restoration of the political process and the democratic institutions in the State. I also stated that keeping in view the overall situation and the trends, the Government felt confident that it would be possible to consolidate the position further with a view to initiating the democratic process in the State in the coming months.

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): Madam Deputy Chairman, I move:

In this background, Government had sought the approval of the House for extension of President's Rule in the State till 17th July, 1995 when, according to the existing Constitutional position, the maximum permissible period of five years of President's Rule in the State would expire. I also stated that the Government would keep the situation under continuous review and take further steps consistent with its desire to hold elections in the State at the earliest, without compromising on essential requiremens of security.

"That this House approves the continuance in force of the Proclamation issued by the President on the 18th July, 1990 under article 356 of the Constitution in relation to the State of Jammu and Kashmir, for a further period of six months with effect from the 18th July, 1995."

Meanwhile on the ground, in Jammu and Kashmir, during the last one year, as a result of sustained and anti-militancy operations by the security the militants had been brought forces. severe pressure. Simultaneously the pace of developmental work Was also given an additional fillip. These and other measures taken by the Government resulted in an overall improvement in the situation. The attitude of the people had also undergone a change indicating their disillusionment with the activities of the militants and a desire for peace and normalcy.

As this august House is aware. view of the then prevailing situation in Jammu and Kashmir, a Proclamation under Article 356 of the Constitution was made by the President on 18th July. 1990. Since the law and order and security situation in the State continued to serious on account of the unbated actions of Pakistan to fuel and abet violence subversion and terrorism in certain parts of the State, approval of both the Houses of Parliament was obtained from to time, for the continuance of the Proclamation dated 18th July, 1990. On the last occasion, when the question of extending President's Rule in the State beyond 2nd March, 1995 was being considered. I had mentioned in this august House that, as a result of the various efforts made by the Government, consequent developments in the State. there had been a marked improvement

The action initiated earlier in respect of certain procedural aspects pertaining to the conduct of elections, viz., revision of electoral rolls and delimitation of Constituencies was followed up and

487 Statutory Resolution [RAJYA SABHA]
seeking approval of
continuation of Proclamation dated 18th
July, 1990 F

of the Constitution in relation to Jammu & Kashmir for a further Period of six months, from 18th July, 1995

## [Shri Bhuvnesh Chaturvedi]

these have since been completed. Further steps as required under the State Election Law were also initiated to facilitate timely conduct of elections. Action is also underway for putting in place the required security and logistic arrangements for the elections.

In the last three months, the political process has picked up speed in the State. The Home Minister and the Minister had each a round of discussions with political leaders at the national level and also with some of the leaders from Jammu & Kashmir. The political parties started gearing up to prepare for the elections. In this situation, Government considered that it should be feasible to work towards conduct of elections for installing a democratic and responsible Government in the State before July, 1995. While, we did not like to tie ourselves to any deadline, we that 17th July, by which time the present spell of President's Rule expire is one of the milestones on the which planning can be done.

The continuing improvement in the situation, the talk of elections in the Valley, and the determination of the government to conduct elections in State have clearly unnerved the detractors of the Government and their across the border, who have intensified their efforts to disrupt the electoral process by every possible means at cost. Most recently, their desperation in this respect manifested itself in the dastardly action of the Pakistan suported mercenaries when the whole town of Charar-e-Sharief, including the Shrine of the patron Saint of Kashmir Sheikh Nooruddin Noorani equally reverred by all sections of the Kashmiri community, was set ablaze by them in the second week of May. Attempts had been made earlier also to descrete the deeply venerated shrines of the Kashmiris. Reports indicate that, with the aim of spreading disorder and strife in the State and inflaming communal passions, these elements could again try to misuse desecrate and cause damage to other religious shrines of various denominations.

The burning of the Holy Shrine at Charar-e-Sharief, despite the efforts the administration and the security forces to prevent any such act of desparation by the militants exercising the utmost restraint, has caused deep angulsh and hurt among people of the State particularly in the Valley. This incident also diverted the attention of the State Government towards reconstruction and rehabilitaion of the town as speedily as possible. This incident did cause a set-back and it will take a little time before the after-effects of this incident wear out enabling the restoration of confidence.

In the wake of these developments in the State, a multi-party delegation also visited the State where it also interacted with various sections of the people. The feed-back from this delegation as well as the discussion with ¹eaders of various rational parties, and with the Chief E'ection Commissioner who visited the State and interacted with State level parties show a general consensus that an elected Government must be restored in the State, though most of them felt that we may need some more time for holding the elections, and that holding the same before 17th July would not be practicable.

I can assure the House that this country will not be deterred in its determination to foil the aggressive designs and violent activities by Pakistan, and its mercenaries, in the territory of India, and there will be no let-up in the Government's efforts to restore normalcy and the political process in the State.

Statutory Resolut on seeking approval of continuation of Proclamation dated 18th July, 1990

Considering the rapid developments that have been witnessed in the State recently, and the activities which the mercenaries in desperation could try to perpetrate, the Government would have to remain duly cautious that a situation of a Constitutional vaccum does not arise in the State even as there will be no dilution in the objective of restoring a democratically elected Government in the State in the near future. In this background, as a precautionary measure, and keeping in view that the term of President's Rule will expire in the State on 17th July, 1995 and the Parliament will adjourn on 2nd June, 1995, a decision was taken after due consideration and deliberation, that Article 356 of the Constitution in its application to Jammu & Kashmir may be amended to enable continuance of President's Proclamation issued on 18th July, 1990 for a further peroid upto one year after 17th July, 1995. In pursuance of this decision, a Constitution Amendment Order, providing as above, has been promulgated by the President on 31st May, 1995, exercise of his powers under Article 370(1) (d) of the Constitution, with the concurrence of the State Government. As I mentioned above this is only an enabling provision. The Resolution before the House seeks an extension of President's Rule only for 6 months, from 18th July, 1995. I would also like to assure the house, that restoration of political process, and restoration of peace in the Valley through the installation of a representative and democratically elected Government, as opposed to the gun culture which the mercenary elements want to prevail, is on the top of Government's agenda. For this purpose we would hold elections as early as possible at a time suitable to the nation. The latest extension of President's Rule is only meant to facilitate the process, and not to push is to the background,

11. In the light, of the circumstances brought cut and keeping in view the

Under article 356
of the Constitution
in relation to Jammu
& Kashmir for a further
Period of six months
from 18th July, 1995

larger interests of the people of the State and the nation, I request the House to approve the Resolution.

The question was proposed.

श्री जगदीश प्रताद माथुर : (उत्त र प्रदेश): मैडम, मैं इसके पक्ष में हु, लेकिन एक सवधानिक ग्रापत्ति उठा रहो हं भ्रीर वलरिफिकेशन चाहता हूं । संविधान के **प्रनच्छद 370 के ग्रांतर्गत राष्ट्रपति जी** को अधिकार है कि वह एक प्रोक्लेमेशन लगाए, उसका उल्लख मंत्री जी ने भ्रपने बयान में भी किया है। भ्रच्छा होता कि मंती महोदय जो राष्ट्रपति का प्रोक्लेमेशन है उससे भी हमको श्रवगत कराते या सदन के पटल पर रखते । यह कमी है, इसको म्राप पूरा कर दें तो मच्छा होगा। जिस प्रोक्लेमेशन का ग्रापने उल्लेख किया है मंत्री महोदय, ग्रापने यह उल्लेख तो कर दिया, लिकन उसमें राष्ट्रपति जी का ग्रादेश ग्रौर उसमें कश्मीर सरकार की सहमति दोनों की भ्रावश्यकता होती है. वह प्रोक्लेमेशन भी यहां पर सदन में रखा जाता या हम लोगों को भ्रवगत कराया जाता कि उसकी वर्डिंग क्या है। यह कमी है, जिसको पूरा किया जाना चाहिए । मैं स्रोडजेक्शन नहीं कर रहा, मैं किसी प्रकार से इस प्रस्ताव के पारित करनें में बाधा भी नहीं डालना चाहता, लेकिन मैंने ग्रापका ध्यान इस बात की स्रोर दिलाया है।

THE MINISTER OF HOME AFFIARS (SHRI S. B. CHAVAN): May I clarify the position? According to Order 48 of 1954, it is not necessary to lay the Constitutional Amendment made by the President on the Table of the House or even to inform hon. Members as to what exactly are its contents. Only, as a result of the Constitutional Amendment effected by the President, if we ask for an extension of the President's rule for axix months, a Resolution to that effect has to come before the House. Never before have we laid the Presidential order

[Shri S. B. Chavan]
before have we laid the Presidential order
on the Table of the House and kept the
House informed about it.

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली) : उपसभापति महोदया, ग्रभी मंत्री महोदय ने 6 महीने के लिए ग्रौर राष्ट्रपति शासन को जम्मू-कश्मीर में लागू करने के लिए एक प्रस्ताव रखा है। दस बार 1990 के बाद इस तरह का प्रस्ताव ग्रा चुका है भौर दिसयों बार प्रस्ताव रखते हुए यह बात कही गई कि परिस्थिति में बड़ा सुधार हो रहा हैं, परिस्थितियां बड़ी ग्रनुकूल हो रही हैं, ग्रगली बार 6 महीने के बाद हम चुनाव करा ही देंगे और वहां पर भ्रांतकबाद खत्म हो रहा है। परन्त् स्थिति लगातार बिगड़ती ही जा रही है ग्रौर "मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की" वाली कहावत चरितार्थ हो रही हैं क्योंकि भ्राप दवाई गलत दे रहे हैं, दवा उल्टी दे रहे हैं भौर वहां पर जो स्राप सुधार का दावा करते हैं, भ्रपने इस वक्तव्य में ग्रापने उसके बारे में पूरी तरह से विपरित तथ्य यहां पर प्रकट किए इससे एक बात ग्रीर साबित हो गई है कि जम्म-कश्मीर के बारे में न सरकार की कोई रणनीति हैं, न लक्ष्य है ग्रौर न उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस सरकार के पास कोई संकल्प हैं या बिल हैं भ्रीर विदेशी शक्तियों के दबाव में श्राकर ग्राप लगातार यह कहते जा रहे हैं कि बुल-डोज़ ग्राप कर हम चुनाव कराएंगे, रहे थे ग्रौर ग्रपोजीशन पार्टियां ग्रापसे कह रही थीं कि यहां हालात ठीक नहीं हैं किन्तु भ्राप मानने को तैयार नहीं थे भ्रौर भ्रंत में भ्राकर 100 जुते भ्रौर 100 प्याज वाली जो कहावत है, वहीं चरितार्थ हुई ग्रौर वहां पर भयंकर आतंकवाद, भयंकर हिसा, यह सब करने के बाद ग्रापको यह बिल लाने पर मजबूर होना पड़ा । सवाल यह पैदा होता हैं कि क्या जम्मू-कश्मीर में भ्राज चुनाव कराए जा सकते हैं, जैसा कि भ्राप कहते हैं ? क्या ग्रापकी रिट वहां पर चलती हैं, क्या वहां पर म्रापका किसी के ऊपर भी, चाहे वह जनता है या J Under article 356
of the Constitution
in relation to Jammu
& Kashmir for a further
Period of six months,
from 18th July, 1995

कर्मचारी है, किसी के बारे में भी ग्राप कह सकते हैं कि ग्राप जो चाहते हैं, वह वहां पर हो जाए । जम्म्-कश्मीर में 15,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हिन्दुस्तान-पाकिस्तान की जितने सैनिक लड़ाई में नहीं मारे गए, उससे ज्यादा हमारे सैनिक, ग्रर्द्ध सैनिक कश्मीर में मारे जा चुके हैं। पूरी की पूरी ग्राबादी हिन्दुग्रों की वहां से निकाल दी गई हैं। कश्मीर में हिन्दुग्रों के मन्दिर नष्ट किए गए हैं ग्रौर जो बच गए हैं, उनमें पानी देने वाला कोई नहीं हैं श्रौर सबसे बढ़कर कश्मीर के ग्रंदर ग्रधिकांश प्रशासन ग्रौर ज्यादातर **ग्रापके कर्मचारी या तो वह डर से या** स्वयं पूरी तरह से ग्रापके कंट्रोल में नहीं हैं ग्रीर जैसा ग्रातंकवादी चाहते हैं, उसके म्ताबिक ग्राज वह काम कर रहे क्या यह ठीक नहीं है कि हजारों कर्मचारी श्रापके ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान जाते हैं श्रौर तनख्वाह हिन्दुस्तान से लेते हैं ? तनख्वाह ग्रापसे लेते हैं ग्रीर वहां पर ट्रेनिंग लेते रहते हैं, वह गायब रहते हैं ग्रौर तनख्वाह उनको मिलती रहती है, क्या यह ठीक नहीं है ? ग्रभी ग्रापने कहा कि हम विकास का बड़ा काम कर रहे हैं, जितना रुपया आप विकास के लिए दे रहे हैं, क्या उसका 95 प्रतिशत ग्रातंकवादियों के हाथ में नहीं जा रहा ? वहां पर रिपोर्टस हैं, सीकेट रिपोर्टस ग्रापकी ग्रपनी हैं कि जितना रुपया ग्राप विकास के लिए देते हैं, जितना रुपया नेहरु रोजगार योजना के नाम पर देते हैं, जितना ग्राप कर्जा देते हैं, वह सब **ग्रातंकवादियों के हाथ में जा रहा हैं ग्रौर** उसी रुपए से वह हिन्दुस्तान के खिलाफ वहां पर विद्रोह करते हैं । क्या यह बात ठीक नहीं हैं कि जो म्रखबार वहां पर ख्लेग्राम पाकिस्तान का प्रचार करते हैं, उसमें भी सरकार के विज्ञापन छपते हैं? हमारी सारी सेना की घेराबंदी के ग्रंदर चरार-ए-शरीफ जला दिया गया,चरार-ए-शरीफ कस्बा जला दिया गया, घर जला दिए गए ग्रौर उसके बाद रिएक्शन में श्रौर जगह पर घर जला दिए गए, मंदिर जला दिए गए । कोई ग्रादमी वहां जाने [1 JUNE 1995]

493 Statutory Resolution seeking approval of continuation of Proclamation dated 18th

July, 1990

की हिम्मत तो करता नहीं स्रौर उसके बाद स्राप कहते हैं कि हम चुनाव कराएगे स्रौर परिस्थिति बड़ी स्रनुकूल हो रही हैं।

उपसभापित महोदया, मैं आज के दो समाचारों की ग्रोर ग्रापका ध्यान ग्राकित करना चाहता हू। एक समाचार हिन्दुस्तान टाइम्स में छप। हैं।

"Centre probing leak of secret J-K documents—The Centre has started investigation into the "leakage" of proceedings of secret meetings and "confidential communications" from the Kashmir Affairs Department in Delhi, according to informed sources. The Jammu and Kashmir Government has taken serious note of the appearance of reports in a section of the media quoting official documents and minutes of the secret meetings on the Chrare-Sharief episode."

ग्रापकी टॉप सीऋेट मीटिंग होती हैं, पूरी की पूरी खबर उनके पास पहं। जाती है। म्रापकी रणनीति बनती है, पूरी खब<del>र</del>ू ग्रातंकवादियों के पास होती हैं। ग्रापके जो नक्शेब नते हैं, नक्शे सारे पाकिस्तान के हाथ में चलें जाते हैं । ग्रौर वहां पर जिनके हाथ में सुरक्षा की जिम्मेदारी हैं जिन लोगों ने 26 जनवरी को गवर्नर केए डरेस के टाइम पर सुरक्षा की जिम्मेदारी की गई थी । यह साबित पाया कि लोग थे जिन्होंने वहां पर बम कांड किया या बम लगाए थे ग्रौर वही लोग उसके लिए जिम्मेदार थे। ऐसी हालत में जबिक ग्रापके गवर्नर के ऊपर बम फैंका जासकता हैं, पुलिस हैंड क्वार्टर के म्रंदर मीटिंग होती हैं टॉप सीकेट ग्रौर उसके ऊपर राकेट फेंककर के उन्हें मार दिया जाता है या अपंग कर दिया जाता है । वहां पर कर्मचारी जब ग्रापके हाथ में नहीं, रिट श्रापकी नहीं चलती तो ग्राप चनाव कैसे करा सकते हैं ?

दूसरी खबर है:

J Under article 356
of the Constitution
in relation to Jammu
& Kashmir for a further
Period of six months
from 18th July, 1995

"IB told to revive Kashmir network."

उस दिन यहां चर्चा हुई कि चरार-ए-शरीफ में हमें कोई सूचान नहीं मिली। वहां पर हमारा कोई जासूस तंत्र नहीं हैं, गुप्तचर संस्था नहीं हैं । होशी कैसे ? ग्रब तक ग्रापके वहां पर बीसे टॉप ग्राई0 बी0 ग्राफिसर मारे जा चुके हैं। जिस दिन ग्राप किसी को ग्रपाइंट करते हैं ऋगले तीन दिन में उसकी हत्या हो जाती है। उनको मालुम होता है कि वहां पर कौन ब्रादमी हिन्दुस्तान की तरफ से इस काम के लिए लगाया गया है। ग्रगर ग्रापकी गुप्तचर संस्थाएं वहां पर काम नहीं कर सकतीं तथा उनके मर्डर होते चले जाएंगे ग्रीर हालत यह हो गई है कि एक बड़े ग्रफसर ने कहा है कि हमारा नेट<del>वर्क</del> प्रायः करके जीरो के बराबर हो गया है। ऐसी हालत में वहां पर बहुत बड़ी स्थिति सुधर रही है, यह बात किस प्रकार से कही जा सकती है ?

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने जो दो बातें कही हैं, मुझे लगता हैं कि चुनाव से पहलें वह उसकी कोई घोषणा करने वाने हैं। उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ब.त कोई ग्रौर नहीं हो सकती । एक बात उन्होंने यह कही कि आजादीं से कम मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूं। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि मैं किसी से भी बातचीत करने के लिए तैयार हं। म्राजादी से कम कुछ भी देने से क्या मतलब है ? टोउल ग्राजादी नहीं तो श्रॉलमोस्ट ग्राजादी, देने के लिए ग्राप तैयार हैं। ग्रगर वहां पर नियर ग्राजादी, ग्रांलमोस्ट ग्राजादीं लगभग ग्राजादी देने की बात कह कर ग्राप क्या मैंसेज देना चाहते हैं ? क्या ग्राप यह मैसेज देना चाहते हैं कि हम उनको करीबन-करीबन ग्राजाद करने के लिए तैयार हैं। किसने दिया प्रधान मंत्री को मेंन्डेंट, कि त्रातंकवादियों के हाथ में करीं**बन-करीबन** ग्राजादी दे दे । इस हाऊस का यूनोनिमस रिजोल्युशन है लोक सभा ग्रीर राज्य सभा का कि कश्मीर हिन्दुस्तान का इंटिक्ट

statutory Resolution [
seeking approval of
continuation of Proclamation dated 18th
July, 1990

(प्रो० विजय कुमार सल्होता)

है ग्रौर जैसे बाकी देश के ग्रन्य हिस्से हैं, वैसा ही इसका हिस्मा है । ग्राप उनमें से नियर ग्राजादी या ग्राजादी देने की बात कैसे कर सकते हैं ? दूसरी बात जो उन्होंने कही वह तो बहत ही खतरनाक है---कि में किसी से भी बातचीत करने के लिए तैयार हूं । ग्राप किससे बानचीत करने के लिए तैयार हैं ? क्या भ्राप बातचीत करने के लिए तैयार हैं, चरार-ए-शरीफ को स्राग लगाने वालों से जिन्होंने वहां पर ग्राग लगादी, ग्राप उनसे भी बात करने के लिए तैयार हैं । ग्राप हुरियत कांफ्रेंस से बात करने के लिए तैयार हैं जो रोज हिन्दुस्तान का झंडा जजाते हैं। हिन्द्रस्तान का राष्ट्रीय घ्वज हर रोज ग्राग लगाने वालों से प्रधान मंत्री बातचीत करने के लिए एक टेबिल पर बैठ जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है ? धिक्कार है ऐसी मनोवृत्ति पर । यह कोई मनोवृत्ति है, कोई तरीका है--कि हम कहें कि हरएक से बात करेंगे, जो टी 0वी 0 ग्रौर ग्रखबारों में खुलेग्राम बयान दे रहे हैं। खुलेग्राम बयान देते हैं ग्रौर यह कहते हैं कि मैने इतने सैनिक मार डार्ले मैंने इतने लोगों को मार डाला, उन लोगों से ग्राप यहां पर बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, जो विदेशों से रुपया इक्ट्ठा करते हैं, हिन्दुस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं, साथ ग्राप बातचीत के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं ? क्या प्रधान मंत्री बैठेगा मस्तगुल के साथ भ्रौर उसके साथ बैठ करके बात करेगा, उस दिन हिन्दुस्तान का क्या रूप दुनियां के सामने जाएगा ?

में भ्रापको याद दिलाना चाहता हूं, भ्राप याद करिए कि 26 जनवरी को शौर्य चक्र देते समय जब एक विधवा महिला सफेद धोती में भ्रांखों में भ्रांसू वहाते हुए खड़ी थी भीर यह कहा गया कि इसके पित ने उन भ्रातंकवादियों से भारी संघंष किया, बड़ी लड़ाई की मृत्यु को प्राप्त हुमा इसलिए इसे हम शौर्य चक्र दे रहे हैं तो भ्रब क्या भ्राप उसके पित के हत्यारों से

A] Under article 356
of the Constitution
in relation to Jammu
& Kashmir for a further
Period of six months
from 18th July, 1995

बातचीत करेंगे ? उन हत्यारों को भ्राप भ्रथनी टेबिल पर लें भ्राएंगे भ्रौर उनकें साथ टैबिल पर बैंट करकें, उनसे बातचीत करके भ्रौर उनसे भ्राप भ्राजादी की बात भ्रौर नियर ग्राजादी देने की बात करेंगे? भ्राखिर किन लोगों को क्यों ऐसा मैसेज दिया जा रहा है कि हम लोग उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं।

हमारे सेना ने दो बार पाकिस्तान को हराया । उनके डेढ लाख फौजियों को हमने ग्रपने यहां कैंद रखा । ग्रपनी उस सेना को शर्मिन्दा मत कीजिए। ग्राज कहा जारहा है मानवाधिकार के नाम पर, बड़ भारी मानवाधिकार के यहां सवाल उठा रहे है, कहा जा रहा है कि उनसे बातचीत होनी चाहिए, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है उन है जवर कोई जुल्म नहीं होना चाहिए। क्या हालत की है उन लोगों ने ? किस तरह से निर्दोध मारा है, मालूम है ग्रापको ? वहां पर लोहे के तारों से लोगों की गर्दन **ग्राहिस्ता ग्राहिस्ता काटी गई, उनको जिं**दा पानी में भ्राहिस्ता भ्राहिस्ता ड्बोकर मारा बया, पेड़ों से लटकाकर मारा गया, जजों को मारा गया, हिन्दु मुसलमान दोनों को मारा गया है । वहाँ पर उनकी हन्त्याएं किस तरह से की गई हैं ? सामूहिक बलात्कार से **ग्रांखें निकालकर, उनको लोहे से दागकर** मारा गया है। क्या यह मानवाधिकार का हनन नहीं है ? इनके मानवाधिकार नह है ? वहां से लाखों ग्रादमी जो निका गए, क्या उनका कोई मानवाधिकार नह श्राप ग्रपनी कायरता को, डारपोकपन को, ग्रपने निम्मेंपन को उदारता का नाम दें, भ्राप उनको बड़ा भारी कोई ग्रौर निमंदें ग्रौर उस कहें कि हम बातचीत कर रहे हैं, बड़ी भारी. राजनित कर रहे हैं। यह राजनीति नहीं है, यह देश को बरबाद करने की बात है । जो पागल कुत्ता हो जाए उससे बातचीत नहीं की जाती है। उससे भ्राप ग्रपने लिए बात कर सकते हैं ग्रकेलें में परंतु राष्ट्र के प्रतिनिधि के नाते बात नहीं कर सकते, सारे देश को बरबाद Statutory Resolution seeking approval of continuation of Proclumation dated 18th July, 1990

नहीं कर सकते । इसलिए मै कहना चाहता हं कि इन ग्रातंकवादियों से बातचीत का सिलसिला बंद कीजिए । उनको या तो पाकिस्तान भेजिए या देश द्रोह के म्रारोप में जैल में डालिए । उनको यहां खलेग्राम मत घुमने दीजिए । श्रकेला मस्त गुल सार हिंदुस्तान को चैलेंज कर रहा है बाहर वालों को बयान दे रहा है बयान दे करके खुले ग्राम कह रहा है कि मुझे कोई हाथ लगा कर तो देखे। क्योंकि ग्राप ग्रपनी सेना को खली नहीं दे रहे हैं, उनको दबा कर रख रहे हैं। ऐसी हालत में मैं श्रापसे कहना चाहता हूं कि ग्राप न ग्रमरीका के दबाव मे ग्राइए. न किसी ग्रौर के दबाव में ग्राइए। हिंदुस्तान के हितों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर घोषणा कीजिए कि जब तक ग्रातंकवाद है. जब तक उनके हाथ मे तलवार है जब तक उनके हाथ में गोली श्रौर बंदूक हैं, जब तक वे हिंदूस्तान म रहने की सौगंध नहीं खाते, उनसे कोई बात नहीं की जाएगी स्रार साफ तौर पर कहिए कि जो जाना चाहता है पाकिस्तान चला जाए, कश्मीर की एक इंच भूमि हिंदुस्तान से ग्रलग नहीं हो सकती । इस बीच में ग्रपनो रिट वहां कायम कीजिए, उसके बाद चनाव कराइए, हम कोई ग्रापत्ति नहीं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

## [The Vice-Chairman AShri Suresh Pachouri) in the Chair].

SHRI VENOD SHARMA (Punjab): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity. There is no doubt that it is the endeavour of the Government to hold electious in Jammu and Kashmir. This process was initiated and it was to be completed before the expiry of the President's rule in Jammu and Kashmir. When it was felt that elections would be held in a normal situation and the nexus between the terrorists and the mercenaries would be exposed, at the instance of the neighbouring country, some terrorists

J Under article 356
of the Constitution
in relation to Jammu
& Kashmir for a further
Period of six months
from 18th July, 1995

and mercenaries burnt the Charar-e-Sharre.. They created this situation in sammu and Kashmir so that elections could not be held there . Their whole idea was to create communal tension so that elections were not held and a democratically elected Govtrnment was not installed there. Sir, this is not a new thing. These kinds of things are heppening for a long time. These things are happening because of those people who are indulging in terporist acts and who are not in favour of elections and democratically Covernments. The Government sincerely made up its mind to hold elections in Jammu and Kashmir. As the Resolution itself depicts that in the next six months the Government will create a conducive atmosphere in Jammu and Kashmir so that elections could be held there. Just now Mr. Malhotra was talking about the people who have migrated from Jammu and Kashmir. This is a very iportant aspect. Those people who had been living there for centuries and whose roots are there, due to fear of life, had to migrate from that place. They are settled in various parts of the country and are living in a very deplorable condition. Now, the Government has made up its mind to hold elections there. If any election is held without giving these people enough opportunity to vote that will not be an appropriate election. There are certain parties and certain individuals who for there are their own political benefit, are trying to emploit the sentiments of these people. But I fail to understand them. These people who have suffered so much shall not be made stooges so that other people can achieve something politically. hon. Home Minister is sitting here amongst us today. Earlier also, this question had come up in this House. A plan should be made and it should be made available to the House. The plan should be told to the House or to the natin. A plan should be made based on what was done in the past. If it is not

A j Under article 356
of the Constitution
in relation to Jammu
& Kashmir for a further
Period of six months
from 18th July, 1995

## [Shri Venod Sharma]

possible to settle these people in the Valley, they should be settled in other parts of the country wherever they have taken shelter. Some of the students left their universties studies. Some of the people left their jobs. They are today without jobs. Some of the parents do not have enough money to give their children education. On this issue, I feel the House should be unanimous in extending support. People who deserve, must be given monetary help. People who are educated and who deserve to get jobs, should be adjusted in other places. Students who have passed from schools and colleges and who could not get admission in professional colleges in J&K, should be given admission on priority basis. They should be adjusted in the various professional colleges of the country. They deserve all this because they had to leave their homes, their business, their lands and everything else and had come out of their place, not happily. They came out of that place with heavy heart. Last but not the least must appreciate the efforts made by the Government to bring normalcy in J & K. It is very easy to criticise and say that the Government had done very little. But we can see what the situation was a few years back and what the situation is today. The contribution of the Central Government and the contribution of the Government there has been immense. The people of the Valley have started thinking on the lines that terrorists are anti-social elements and their activities are not in the interest of the nation and that they are playing into the hands of foreign countries want to see India weakened. People have cast aspersions on the security forces. The security forces deployed there stood the test of time. They have fought valiantly. Thy have suffered and they have also lost lives. In a situation of this kind, we cannot say that people will not die either on this side or on that side.

I am very hopeful that in the coming six months, the situation there, which has already improved, will improve further. The hon. Prime Minister, who is personally looking into it, is seized of the matter. The situation will become better and normalcy will be restored. There will be a democratically elected Government there, after the completion of the six months extension of the President's Rule. With these words, I support the extension of the President's Rules by another six months in the State. Thank you.

DR. BIPLAB DASGUPTA (West Bengal): Sir, over the past few weeks, we have had a lot of discussion on the Kashmir issue. In fact, we were quite prepared to pass this Resolution without any discussion. But some friends from the BJP invisted on speaking. We have our own views on this issue. I will not repeat what I had discussed earlier. I will only make one major point and one or two other points which the BJP had raised Elections certainly should be our ultimate goal. The society in Kashmir must be democratised. There should be elections. On that, there is no dispute Government. between us and the The question is whether the time įs opportune for holding the elections now or not. That is the question. few days ago, we have had the unfortunate incident of the Charar-e-Sharief. So, we don't believe that the conditions are really normal for holding a fair election there. The people of Jammu and Kashmir are still under fear. That is true. Had it been only fear, that would have been a different matter. We could have taken care of that. But the fact is that a very large proportion of the population has remained alienated from us. They have been alienated from us politically socially and in many other pects. Without overcoming that problem if you hold elections there, it might become counter-productive. This is the risk one has to take. One has to con-

mation dated 18th July, 1990 sider whether it is worth taking or not The Government's argument is that we

rigged elections do not really help us very much. We had to pay a very heavy price for rigging in some of the elections held in 1987. This one or per cent turn-out in the elections would no really present a very good picture of what you are proposing to do in Kashmir. I would suggest that the Government should consider the whole question in a cool and balanced manner. I would suggest that we should not rush for elections. My party's stand is that any attempt to rush for elections at this moment might be very dangerous for us. We are anyhow going to have months' extension. Think about the whole situation and then take a decision.

have done it in Punjab. They say that in Punjab also there was this problem of terrorism. Eventually, an election was held. Of course the turn-out was low. But it did not matter. Finally, there was an elected Government and it was able to control the terrorist situation there. However, I would say that the conditions in Kashmir and the conditions in Punjab are vastly different. If you take into account the Sikhs of Punjab they were not alienated from the rest of the population of India. Sikhs were much an integral part, and have always been even now, of the Indian population. You can see Sikhs all over the country. There is no single corner over the country where you could see Sikhs. The economy, whether it is agriculture or other sectors of Punjab was thriving despite terrorism. So there can be no comparison between two States. How many Kashmiris there in our national life? How many Kashmiris are there in sports, as writers and in other activities? How many Kashmiris are living in Bengal or Assam? So, their case is entirely different. The situation in Kashmir is different because there is a very deep-rooted alienation and that reality has to be accep-

As far as our BJP friends are concerned they have made some points. Their points are very aggressive. I think one of the reasons for the problem in Kashmir is the BJP because ... (Interruptions).

I would also like to make point in relation to the holding of elections. The point is that an election in Kashmir will get an enormous amount of publicity in the international media. I am sure many television crew will come there. Many voluntary organisations will send their representatives to monitor the elections in Kashmir. If there is a poor turn-out, just one or two per cent, then I would say that whatever progress we have achieved so far would completely be negatived because of that unfortunate experience. So, I would say, let us not hold a sham election. Sham elections,

SHRI CHATURANAN MISHRA: You connot point your finger this side. You point it to that side.

DR BIPLAB DASGUPTA: They are responsible for this. Had there been no problem between the Hindus and the Muslims in India, had there been communal amity between these two communities, if the majority population in Kashmir had confidence in .. (Interruptions).

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: The amity in 1947. .. (Interruptions)... A majority of the population at the time of the Partition continued. (Interruptions).

DR. BIPLAB DASGUPTA: I Will tell you what happened in 1947, In 1947, it the majority of the population of Kashmir went by the logic of Partition, Kashmir should have gone to Pakistan, Don't forget

A j Under article 356
of the Constitution
in relation to Jammu
& Kashmir for a further
Period of six months
from 18th July, 1995

[Dr. Biplab D\_s Gupta]

503

that. Muslims are in majority in Kashmir, But the people of Kashmir, under the leadership of Sheikh Abdullah, have opted for India. They reject the Muslim League. (Interruptions).

THE VICE-CHAIRMAN (SHR! SURESH PACHOUR!): Mr. Mathur, please don't interrupt.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Sir, he is making baseless allegations. He does not know the actual position... (Interruptions)....

DR. BIPLAB DASGUPTA: You don,t know the actual position.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHORI): Please conclude now.

DR. BIPLAB DASGUPTA: The Point I am making is that .. (interruptions)..

THE VICE-CHAIRMAN (SHR1 SURESH PACHOURI): Please make your point.

DR. BIPLAB DASGUPTA: We should realise what happened in 1947. Instrument of Accession was signed in October, 1947, At that time, a blood-bath was going on the frontiers of communal riots were at their peak in India and lakhs of people were being killed. At that moment, the Muslims of Kashmir under the leadership of Shaikh opted to join India. They Abdullah wanted some protection under article 370, which was understandable in that situation. But do not forget that had there not been article 370 there would have been no integration of Jammu and Kashmir with India. That reality has to be accepted.

Now, my position is this. I feel that if our friends in the B.J.P. become less belligerent, if they do not disturb peace any more and if they develop amity—

you have to develop amity-between the Hindus and the Muslims, maybe that would help in the solution of the problem of Kashmir. I will ask this question very pointedly. Suppose article 370 is not there, can they guarantee that all those who are opposed to India, will turn in favour of India? That is not why you want to stop the possible. Obviously one will take discussions? differences in the advantage of the Opposition ranks. Just today, 96 per cent of the population of Kashmir is, probably, opposed to us. We must find out what the differences are within the Opposition and take advantage of One has to take advantage of the differences which exist in the Opposition ranks. I see nothing wrong in the Government going in for consultations. Now, whether it should be in consultation with the terrorists or not is a different question. But there are so many different shades of public opinion in Kashmir, so many different nuances in the way the popular opinion moves in that place. We must take advantage of these differences. Certainly, there is nothing wrong in our Government initiating some discussion with them. In any case, at the end of the day, what is required is that the political process must be initiated. We have been discussing this for a long time. When I went to Kashmir in 1990, even then we were exploring the possibilities of a political process. So, we must initiate the political process in one way or the other and, certainly, all the parties will have to take the responsibility for this.

But, just now, I feel that the time is urge the Home Minister to kindly look not opportune for holding election. I into it again and not to go on making promises of all kinds—that you will hold elections or this or that. Think about it rationally, coolly and don't rush in for elections. We have got six months' time more now. This will give us plenty of opportunity to take a fresh stock of the situation.

Statutory Resolution seeking approval of continuation of Proclamation dated 18th July, 1990

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) उपसभाष्यक्ष महोदय, ग्राज मैं फिर बहुत दुख से श्रापके इस प्रस्ताव का समर्थन करुंगा। मझे बहुत दुख हो रहा हैं कि फिर हम लोगों को प्रेजीडेंट रूल कश्मीर में बढ़ाना पड़ रहा हैं। मुझे इसमें शक नहीं है कि जो पाकिस्तानी लोग होंगे ग्रौर मिलिटेंट्स होंगे वे बहुत ख़ुश होंगे । वे प्रहां दीवाली मनाएंगे स्नौर हम मनहसियत के वानावरण में रहेंगे। हम इस बात को समझ सकते हैं कि वे हमारे दुश्वन हैं हमारे देश के ज़िलाफ अन्दिक्लेंयर्ड बार कर रहे हैं। लेकिन हम ग्रापकी इस सरकार को नहीं समझ सकते हैं कि जो कोई सुझाव सुनती ही नहीं है। अब तो ग्रौर भी दुख हुग्रा जब प्रधान मंत्री ने कश्मीर विभाग डाइरक्ट ग्रपने हाथ में लिया ग्रौर कुछ नहीं किया। क्या हाथ में लिया क्या हाथ में नहीं लिया पहले किसके हाथ में था, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है।

हमारे यहां एक पहरेदार नौकर था। उसका नाम करीमना था । श्रंधा था । हमारे दादा कहते थे जैसे करीमना का जगता बैसे करीमना का सोना । वह रात क्या देखेगा जबकि उसको दिन में नहीं दिखता। वैसे ही करीमना ही जब काश्मीर का इंजाजं होता है तो हम लोग क्या करें। छोटे से छोटा काम ग्राप नहीं करते हैं।

भ्रापके राज्यपाल हैं। सत्र प टियाँ मिलकर कहती हैं कि उनको हटा दीजिए। कोई पोलिटिकल राज्यपाल रखिए । स्रभी एम० पी० लोग गए हए थे। उनसे कुछ नागरिक बात करना चाहते थे । राज्य-जी से कहा गया कि ये लोग ग्रापके सामने बात नहीं करना चाहते हैं।

Under article 356 of the Constitution in relation to Jammu & Kashmir for a further Period of six months. from 18th July, 1995

राज्यपाल जी ने कहा कि नहीं करना चाहते हैं तो ठीक हैं हम हट जाएंगे। लेकिन वह हटे ही नहीं, गए ही नहीं। ग्रब राज्यपाल जी को क्या चपरासी से पकड़कर उटा देंगे । बोलिए ग्राप लोग । कैंसे कैंसे स्नाप लोग करते हैं । स्नापकी कुछ बात समझ में नहीं आती है। सभी राज्य सभा की कई सीटें खाली हैं काश्मीर का कोई भी नहीं हैं न इस सभा में न उस सभा में।

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी० एम० सईद) : ऐसी कोई बात नहीं हुई हैं।

श्री चत्रानन मिश्र : कहां।

श्री पी०एम० ५ई द: मैं वहां था।

श्री चतुरानन भिश्न : फिर ग्रोथ ग्रगेंस्ट श्रोथ होगा । हम एम पीज ० लाकर भ्रापके सामने खड़े कर देंगे तब भ्राप विदड़ा कर जाइएगा । हाउस में बोलते हैं भ्राप । यह प्रिविलेज का सवाल हो जाएगा भ्राप एम० पी० लोगों को खड़ा कर देंगे । बैठ जाइए चुपचा । गलत वयानी नहीं होनी चाहिएँ।

VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Let him finish first.

श्री चतुरानन मिश्र : यहां क्या लगा हुम्रा था ेे यहां राज्य सभा सीटें कई नामीनेशन की खाली हैं। दो काश्मीरी को नहीं रख सकते थे। उनकी बात यहां ग्रा सकती थी ? जगह खाली रखें हुए हैं सोए हुए हैं। करिमना सोया हुग्रा है । ग्रच्छा कश्मीर से इतने रेफ्युजी लोग ग्राए हुए हैं । ग्रब इतने दिनों से रेफ्युजी लोगों का सवाल पड़ा हुम्रा है । हम लोग कहते हैं उसको जाकर देखिए कोई रास्ता निकालिए । ग्राप सूनते ही नहीं हैं । उसका कंबल फटा हम्रा है, उसकी दरी फटी हुई **है, उसका**  Statutory Resolution [
seeking approval of
continuation of Proclamation dated 18th
July, 1990

[श्री चत्रानन मिश्र] टैंट टूटा हुम्रा है, जाड़े में बह मरता है। हम लोग यहां पर एग्रर कंडीशन में ख्ब ग्राराम करते हैं,। खुब भाषण करते हैं। फिर हम ग्रापसे जानन। चाहते हैं कि ग्रभी ग्राप यह रेजोल्युशन लाए हैं ग्रभी क्या उचित नहीं था कि प्रधान मंत्री दोनों सदन में ग्रा अरके भाषण देते श्रौर ग्राश्वस्त करते कि हम वहां जल्दी से जल्दी चुनाव करायेंगे यह चरारे शरीफ घटना के कारण हम फौरन नहीं करा सके । **ब्रापने कहा था कि हम पैके**ज डील करेंगे, एटानामी देगे। क्या एटानामी देंगे यह कोई नहीं जानता है। सारा देश नहीं जानता है कि आप क्या करेंगे। हम यह बात तो समझते हैं कि हमारे भा०ज०पा० के मित्र लोग आर्टिकल 370 के खिलाफ हैं, लेकिन ग्राप तो उसके खिलाफ नहीं हैं। ग्राप तो म्राकर कहते म्राज सदन को भ्रौर तब फिर यह 6 महीने का टर्म ले लें। ग्राप 6 महीने का समय ले लेते हैं। फिर करिमना सो जाएगः । कुछ नहीं होगा । हम चाहते हैं कि यह सोने का काम बंद कर दीजिए, जल्दी से जल्दी काम कीजिए। कहिए एटानॉमी क्या है ? यह कहने में क्या दिक्कत हो रही है कि बहां राज्यपाल नहीं कहलाएगा सदर-ए-रियासत रहेगा तो क्या ग्राप्तमान टूट जाएगा ? वहां चीक मिनिस्टर नहीं कहलाएगः, वजीर-ए-ग्राजम रहेगा तो क्या हो जाएगा ? यह कहने से भ्रापको क्या लगता है ? हम जानते हैं कि पूरी एट नॉमी तभी होगी जब नई ग्रसेंबली ग्राएगी, लेकिन कुछ बातें श्रभी की जासकती हैं ? वह करने भी तो में ग्रापका क्या लगता है ? क्या ग्राप यह गारंटी नहीं कर सकते थे हम सभी पार्टी के लोग मिन करके प्रधान मंत्री बोले भ्रौर हम लोग तमर्थन करते कि कश्मीर चनाव में किसी तरह की रिगिंग नहीं होगी, काश्मीर में निष्पक्ष चुनाव होंगे। चाहे जिसको जीतना है, जीते। जो भी भारत में रहता चाहता है वह वहां खड़ा हो । किसी को भी ग्राप हरा दें । यह गारंटी भ्राप नहीं कर सकते थे ? सीधे प्रस्ताव ले ग्राते हैं । प्रधान मत्री

of the Constitution
in relation to Jammu
& Kashmir for a further
Period of six months
from 18th July, 1995

श्राकर कुछ बोलते ही नहीं हैं, तो हम क्या करें हम तो श्रापसे भी श्राजिज हैं कि इस तरह का श्राप काम करते हैं।

एक बात हमारे जो जे०के०एस० एफ० के लोग हैं, ग्रापके ग्रौर सदन के जरिए उनसे एक ग्रपील करना चाहता हं, वे कहते हैं कि उनका सैंकुलरिज्म में विश्वास है । हम उनसे पूछना चाहते हैं कि ग्रगर ग्रापका बिश्वास सैक रिज्म में है तो ग्रापने मंदिर क्यों जलायाँ ? ग्रभी जो मंदिर तोड़ा गया तो ग्राप इसकी निन्दा क्यों नहीं करते हैं ? हम लोग तो निन्दा करते हैं जितने भी सैकुलर किस्म के ब्रादमी हैं वे सभी निन्दा करते हैं। बाबरी मस्जिद तोड डाली गयी थी। कुछ हिन्दू लोग तोड़ डाले थे । लेकिन सारे हिन्दुओं ने उसकी निंदा की थी। भारत तो इसको करता है । भा०ज०पा० के लोग कहते हैं कि जो लोग भ्रातंकवादी हैं, हत्याएं ग्रत्याचार करते हैं ग्राप उनके साथ क्यों बात करते हैं ? तो हम तो बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों से भी बात करते हैं, गांधी के हत्यारों से भी बात करते हैं ग्राप हमको क्या पूछते हैं हम तो सबसे बात चलाते हैं ... (व्यवधान)

श्री भुवनेंश चतुर्वेदी : उधर मत देखिए।

श्री चतुरानन मिश्रः यहां हम देख सकते हैं....**(ब्यवधान)** श्रंगुली नहीं उठा सकते हैं । दूसरी बात हम आपसे कहना चाहोंगे जे०के०एल०एफ० के लोगों से कि प्राप जम्हूरियत में विश्वास करते हैं, वे कहते हैं कि हम जम्हरियत में विश्वास करते हैं तो दूसरी पार्टी को कश्मीर में काम क्यों नहीं करने देते हैं ? दूसरी पार्टी जाती है तो उसको ग्राप गोली क्यों मार देते हैं ? हमारी पार्टी के लोग मारे गए हैं, कांग्रेस के मारे गए हैं, उनके मारे गए । किसी को काम ही नहीं करने देते हैं । फिर हिन्दू शरणार्थी हैं तो उसका सवाल क्यों नहीं जे०के० एल०एफ॰ के लोग उठाते हैं कि हम इसको हल करेंगे । ग्रगर जै०के०एल०एफ० समझती है कि इस्लामी स्टेट नहीं होनी चाहिए । ग्रगर ऐसा समझते हैं तो ऐसा

Statutory Resolution seeking approval of continuation of Proclamation dated 18th July, 1990

Junder article 356 of the Constitution in relation to Jammu & Kashmir for a further Period of six months from 18th July, 1995

बोलना चाहिए कि इस्लामी स्टेट नहीं रहे। । इस्लामी स्टेट के कराची में पाकिस्तान बनाने वाले बिहार-यू.पी. से गए मृहाजिरों का क्या हो रहा है इससे कश्मीरियों को सबक लेनी चाहिए । यह भारत का संविधान कहीं श्रच्छा है सैकूलर है और वह उनके ग्रपने हिन में है, क्योंकि अगर इस्लामी स्टेट, इस्लामी स्टेट करेंगे तो जम्म-**∞श्मीर के हिन्दूया लद्दाख के लोग कश्मीर के** साथ नहीं रहेंगे, तो जो भी काश्मीर है उसको भी तोड़ डालेंगे । इसी तरह से हम भ्रापसे कहना चाहेंगे कि क्या फर्क है भारत में ग्रौर पाकिस्तान में इसका हमारी सर-कार बड़े पैमाने पर काश्मीर में प्रचार नहीं करती । हमने देखा था कि पहली बार गुलाम नबी ग्राजाद साहब मीटिंग में जो गए थे तो जरा जमकर कुछ बोले थे इस वात को, लेकिन सरकार को तो हमकं लगता है कि जुबान नहीं है । यह क्या है सरकार हमको तो समझ में नहीं ग्राता ? (व्यवधान)

श्री श्रजीत जोगी : गुलाम नबी ग्राजाद माहब सरकार हैं ?

श्री चतुरानन मिश्र : नहीं-नहीं, सरकार तो हैं । वह कैसी सरकार है ?
बेचारे वहां जाते हैं । से कोई कैबिनेट
मिनिस्टर श्राए तो पूछिए कैबिनेट में क्या कभी
विवार किया है कि चरार-ए-शरीफ में
क्या हुग्रा, नहीं हुग्रा । यह भारत का
मंबिमंडल कभी कोई विचार नहीं किया ।
ग्राज तक विचार नहीं किया । इतनी बड़ी
घटना घट गई ग्रीर क्या हुग्रा, नहीं हुग्रा ?
यह तो ग्रजीब बात है । हम इसलिए
कहते हैं कि भारत ग्रीर पाकिस्तान में
भारी फर्क है । यहां से जो लोग पाकिस्तान
बनाने के लिए हमारे बिहार से गए हुए
थे वे कराची में 47 वर्ष बाद मुहाजिर
कहलाते हैं ।

श्री मोहस्मद सलीम : उनको तो वे एंटी-नेशनलिस्ट्स कहते हैं।

श्री चतुरानन मिश्र: वह तो बहुत बातें बोलते हैं लेकिन यहां हमारी तरफ से जाकर कोई प्रचार नहीं कर सकता है? में तो कड़ंगा कि सभी पालिटिकल पार्टीज की मीटिंग बुला लीजिए और हम लोगों को सभी को बता दीजिए कि किन-किन क्षेत्रो में हम लोग जाएंगे । आखिर हम लोगों का भी थोड़ा-बहुत ग्रसर तो ही । जिसका भी जहां हो उन्हें भेजिए ग्रौर उनके धोटेक्शन की गारंटी कीजिए। फिर हम लोग जाकर काम करेंगे, प्रचार करेंगे, लोगों की बताएंगे । नहीं तो क्या गवर्नर बत।एगा ? यह जो कहते हैं कि **ग्र**ाफिसर गड़-बड़ा गए हैं। । तो क्या गबर्नर जाकर बताएगा, बी.डी.ग्रो. बताएगा या हम लोग बताएंगे कि किसको सेक्युलरिज्म कहते हैं, किस**को देशभक्त** कहते हैं, दूसरा पार्टीशन करने का क्या मतलब होता है ? ग्रगर हम तुमको कश्मीर दे भी देंगे, अगर हिन्दू-मुसलमान के नाम पर तुम पाकिस्तान में जाश्रोगे तब भी भारत में इतने म्सलमान बच जाएंगे जो पाकिस्तान से कहीं होंगे ? यह बातें कोई जाकर उनके सामने रखे तो, लेकिन ग्राप उसके लिए वाता-वरण तैयार नहीं करते हैं । ग्राप सरकार बनाते हैं तो सुरक्षा नहीं देते हैं । इसी-लिए मेरा कहना है कि ग्राप इस दम-घुटने से फुर्सन दिलवाइए और कोई रास्ता निकालिए जिससे कि हम लोग भी इस बारे में कूछ काम कर सकें ग्रौर यह 6 महीने का जो टाइम है, ग्राप हमारे सदन के नेता हैं गृह मंत्री जी, इसको बर्बाद मत कीजिए । श्राप ने बहुत 6 महीने लेकर बर्बाद किए हैं। ग्रब समय लीजिए कि ग्राप को चुनाव कराना ही है ग्रीर इसी लिहाज से रोज-रोज काम होन चाहिए । लोगों के बीच में जाना चाहिए ।

यह बहुत ही दुख की बात है कि उन लोगों ने कहा कि भारतीय सेना ने चरार-ए-शरीफ में ग्राग लगा दी । ग्रगर 511 Statutory Resolution [
seeking approval of
continuation of Proclamation dated 18th
July, 1990

(श्री चत्रानन मित्र)

हमारी ही सेना आग लगाती तो एक यो मस्जिद इस देश में नहीं बचती । हमारी सेनाग्रों ने विशाल हिन्दुग्रों के देश में उन हिन्दूग्रों को भी भारा है जो बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए गए थे या कुछ भो ऐसा करते जाते हैं। जब दुनरे धर्म का कोई अन्दमी जाकर तोडेगा तब तो हमारी सेना उसे बचा सहती है, लेकिन ब्रगर मुसतपान ही मस्जिद तोड़ेंगे, हिन्दू ही मंदिर तोड़ेंगे, किश्चियन हो चर्च तोड़ेंगे तो हम कितनी फौज लाएंगे और कहां-कहां रवेंगे भीर क्या-क्या इपिए ग्राने-ग्रमने मंदिरों की, प्रपती-ग्रमी मस्जिदों को खुद उन लोगों को गारंटी लेनो होगी ग्रीर यह गारंटी देनी राष्ट्र को कि यह मंदिर नहिंगर टैरेरि-स्टस का प्राडंडा नहीं बनेंगे. हाथियारबन्द लोगों का ग्रडडा नहीं बतेंगे । यह धर्म के लिए रहेंगे और पूजा के जिए रहेंगे, नपाज के लिए रहेंगे यह गारटी करती होगी उन लोगों को जो उस धर्म को मानते हैं ग्रौर यह नई बात लेकर हमको लागों के बीच में जाना पडेगा । इसलिए **ग्रापकी सरकार से ग्र**पीन करूंगा कि जिना वक्त वर्बीद किए जन्द सेजस्य चुरुव करवाइए । ग्राम जिन्हें सरकार में रखें हुए हैं, वह बड़े नालायक लोग हैं, उन्हो हटाकर कुछ ऐसा काम कोजिए कि वहा लोगों को विश्वास हो और वे नह न सोचें कि कुछ होता ही नहीं है इस देग के श्रंदर । मुझे इसमें बहुत दुब है, यही मैं भ्रापसे प्रयोग करना चाहता है

उन्तमाश्यक्ष (श्री भुरेश प्यौरी) : मिश्र जो, श्रापने कहा कि जम्मू-नश्मीर कः कोई राज्य सभा में है हो नहीं । गुनाम नबी श्राजाद साहब हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब हैं ।

श्री चरुरातन मिश्र : इत लोगों को तो ग्राग एत. प्रार. ग्राड : वताकर रखे हुए हैं । हम यह तहीं कहते कि ये वहां जन्मे हुए नहीं है, लेकिन ग्रापने सबको एत. ग्राइ. ग्रार. बनाकर रखा हुग्रा है ।

[RAJYA SABHA] Under article 356
of the Constitution
in relation to Jammu
& Kashmir for a further
Period of six months
from 18th July, 1995

उन तमाध्यक्ष (श्री सुरेश पवौरी) : श्री सोमपाल ।

श्री सोंत्रयाल (उत्तर प्रदेश): माननीय उपमाध्यक्ष जी, पिछले दो वर्षों में कश्मीर की स्वस्था के प्रध्ययन का कुछ प्रवसर मुपे भी मिला है और तीन बार मेरे इनी-लिएटिव पर काश्मीर के कुछ लोग, जिन में कि कुन जना हुरिया कांफरेंस के सदस्य ये वह दिल्ली आए और उनने वर्षों हुई। दो बार मेरे प्राने मकान पर उनसे मंभीर विवार-विवर्ण हुया और मैंने यह वाया कि काश्मीर में कुन ऐसे तथा प्रवस्थ हैं जोकि राजनीति गिक्या में सम्मिलत होने के इच्छुक हैं।

महोदय, वडां राष्ट्रपति शासन है ग्रौर हर्न चार-बार उसी इतिहास को दोहराना पड़ना हे और संसर् के समझ यह प्रार्थना ने कर प्राना पड़ता <mark>है कि</mark> इसे पुन: 6 महोने के निए बड़ा दोजिए । **ग्रा**ज हम फिर इसोलिए प्राए हैं ग्रौर यह हमारी मनपुरी है, विवशता है क्योंकि सरकार यह प्रप्ताव लेकर ब्राई है **तो हमारी** भी **मज**-ज्रो है । इमें भी उसका समर्थन करना पडेगा । यह तो एक संबैधानिक संकट है जिनका कि कोई इलाज नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि कोई इलाज कभी भी नहीं होगा । महोदय, सबसे बड़ो कठिनाई यह है की सरकार में एक इच्छा शक्ति का, एक सकल्प का सर्वथा ग्रभाव देखने को मिलता है ग्रौर 6 महीने के लिए जब उन्हें एक्स-टेंशन मिल जाता है, उसके बाद वह सो जाते हैं श्रीर वहां सामान्यीकरण नामैत्राइजेशन के लिए कोई प्रारम्भ नहीं गाते कर सामान्यीकरण के लिए, नामेलाइजेशन के लिए कोई प्रक्रिया वह प्रारम्भ कट पाते । मैं स्वयं कश्मीर गया था 22, 23 और 24 नवम्बर, 1994 को, ग्रपनी पार्टी के नेताश्रों से श्रनुमति **लेकर ग्रौर** प्रधानमंत्री जी को सूचना देकर । मैं तीन July, 1990

Under article 356
of the Constitution
in relation to Jammu
& Kashmir for a further
Period of six months
from 18th July, 1995

दिन वहां रहा । बहुत से लोगों से मैंने वहां बात की, जिसमें कर्रमीर के प्राने नेता सैयद ग्रली शाह जिलानी साहब, ग्रब्दुल गनी लोन साहब, हुरियत कांफ्रेस के प्रों० ग्रब्दल गनी साहब, जस्टिस वह।उददीन फारूखी साहब श्रीर संयोग से उस समध डा. फारुख ग्रब्दुल्ला भी वहां थे, नव-युवक नेता, जिन्हें सरकार ने **छोड़ा** एक ग्रच्छा कदम उठाया, श्री सब्बीर शाह, यासीन मलिक साहब थे। इन सब लोगों से मैंने बात की ग्रौर ग्रपनी पार्टी के ग्रब्दुल कयाम साहब ग्रोर **माननीय** मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब भी उस दिन वहां थे, उनके घर भी एक मीटिंग हुई । कुछ पत्नकारों से बात कुछ प्रबद्ध नागरिकों से बात हुई।

महोदय, मेरा यह निवेदन है कि सरकार वहां की जनता को यह ग्रहसास कराने में यदि सफल हो सके कि हम निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते हैं, हम एक ग्रच्छा प्रशासन देना चाहते हैं तो उससे लोगों का विश्वास जीतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है, परंतु दुर्भाय की बात है कि इस दिशा में ग्राज तक कोई कदम सरकार ने नहीं उठाया है।

## [ उपसभापति महोदया पीठासीन हुई ]

उपसभापित महोदया, बार बार फिर वहीं पहुंच जाते हैं और 6 महीने के बाद फिर यह सिलसिला गुरू हो जाता है। मैं वहां के प्रणासन की बात कहना चाहता हूं। प्रणासन वहां न होने के बराबर है। विकास-कार्यों के ऊपर जितना खर्च होता है, वह सब कागज के ऊपर है। पिछले पांच-छह वर्षों में आडिट का बिल्कुण काम बंद है। कागजों के ऊपर नहरें, बिल्डिंगें बनी हुई हैं, और वास्तव में वहां मौजूद नहीं हैं। इसकी सब लोगों को जानकारी है। अब किस प्रकार सरकार के प्रति उन लोगों का विश्वास पैदा

हो सकता है ? बेरोजगारी चरम सीमा पर है। पुलिस बल वहां का बिल्कुल बेकार पड़ा है । कश्मीर में 31,000 पुलिस फोर्स है, उसमें से 2000 तो **मह**ल्वपूर्ण व्यक्तियों को भूरक्षा में तैनात है, 2000 स्टेट गार्ड पोजीशन में थी, जिनमें एक में 5 से लेकर 6 पुलिस ग्राफिशियल लगते हैं तो 10,000-11,000 उसमें खप जाते हैं, 3000 के करीब ट्रेनिंग या छुट्यों पर रहते हैं स्रौर 3000 मिनिस्ट्रियल श्राफिस कोर्ट श्रौर दूसरे श्राफिस में रहते हैं, तो कुल मिलाकर 10,000 या 11,000 पुलिस बल वहां उपलब्ध रहता है पुलिस प्रशासन को देखने के लिए । यह सर्वमान्य तथ्य है कि स्थानीय पुलिस जो होती है उससे बढ़िया सूचना का स्रोत कोई दहीं होता श्रौर वहां की स्थानीय समस्याग्रों को टेकल करने के लिए, तय करने के लिए स्थानीय पुलिस से ग्रधिक ग्रौंर कोई साधन स्रोत सरकार के पास नहीं होता।

महोदया, वहां एक समिति बैठाई गई थी किसी वरिष्ठ पुलिस प्रधिकारी की ग्रध्यक्षता में । उसने एक रिपोर्ट दी **।** वह दस्तावेज सरकार के पास पड़ा हुआ है। इसमें सुझाव दिया गया था कि 70,000 पुलिस फोर्स की स्ट्रेन्थ कम से कम कर दी जाए । इससे एक तो 40,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, 40,000 परिवारों का ब्रापकी सरकार में विश्वास जगेगा श्रौर उनकी भ्रपनी जिम्मेदारी होगी, उनके उपर कुछ ग्रनुशासन होगा ग्रीर वह वहां के ग्रन्य लोगों को कन्वीन्स करने के लिए ग्रापके माध्यम बन सकते हैं कि वहां की राजनीतिक प्रक्रिया में, सामान्यीकरण प्रिक्रया में सब लोग सम्मिलित हों ।

महोदय, गवर्नर साहब का रूख वहां ऐसा है कि मैं तीन दिन वहां रहा भ्रौर मुझे मिलने का समय नहीं । वह राज-नैतिक व्यक्ति तो है नहीं, फौज के आदमी हैं, उन्होंने श्रादेश चलाया है । लोगों की समस्याग्रों के प्रति उनकी संवेदनहीनता July, 1990

Under article 356
of the Constitution
in relation to Jammu
& Kashmir for a further
Period of six months
from 18th July, 1995

चरमोत्कर्ष पर है, पराकाष्ठा पर है। इतना इनसेंसटिव प्रशासन, इतना इनसेंस-टिव गवर्नर हो नहीं सकता ग्रौर वह भी कश्मीर जैसे सेंसटिव प्रदेश में। मैं सरकार से यह कहना चाहता हं कि वहां सामा-न्यीकरण श्रौर राजनीतिक प्रित्रया अगर म्राप प्रारंभ करना चाहते हैं ईमानदारी से. तो किसी ऐसे राजनैतिक व्यक्ति को वहां भेजिए, जो लोगों की समस्यात्रों के प्रति उनसे मिलने में गरेज न करे बल्कि उनके प्रति सवेदनशील हो, उनकी बातों पर या उनकी शिकायतों पर कुछ कार्यवाही करने की इच्छा रखता हो। राजनीतिक कार्य-कर्ताम्रों की बहां उपेक्षा है। यदि माधारण नागरिक के खिलाफ कोई ज्यादती होती है, कोई उसकी शिकायत होती है तो वहां ऐसा कोई राजनैतिक व्यक्ति नहीं. जिसकी बात सरकार सुनती हो । यदि ग्राप ग्रपने राजनैतिक कार्यकर्ताम्रों को, दूसरे राजनैतिक कार्यकर्ताओं को ग्रवसर नहीं देंगे तो उनका बनेगा ? किस क्या मन प्रकार राजनीतिक प्रक्रिया प्रारम्भ करेंगे ग्रौर किस प्रकार ग्राप जसोचते हैं कि वहां सामान्य स्थिति हो सकती है ?

भ्रष्टाचार की बात, मैं पहले ही कह चुका हं, उल्लेख कर चुका हं कि जो विकास कार्यों के ऊपर पैसा जाता है, वहां के ग्रधिकारियों का कहना है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि 30 प्रतिशत से ग्रिधिक वहां नहीं लगता, बाकी पता नहीं कहां जाता है। भौर यह निहित स्वार्थ की एक श्रंखला बन गई है, वेस्टिड इंटरेस्ट की एक चैन बन गई है कि वे स्थिति को सामान्य करना ही नहीं चाहते, यह बड़ी दुभाग्यपूर्ण स्थिति है। में सरकार से चाहंगा कि इस पक्ष के ऊपर एक गंभीर जांच करे। संसद की कोई समिति बैठाए, केन्द्र सरकार से किसी को भेज ग्रौर ग्रगर इसमें कोई खामी पाई जाए, जैसा कि वहां **श्राक्षेप या रहे थे तो उसकी इहस्ती करने** का कुछ उपाय करे।

कुछ मैं सुझाव, माननीय गृह मंत्री जी बैटे हैं, उनकी सेवा में उपस्थित करना चाहता हं। एक तो पुलिस बल के बारे में जो रिपोर्ट ग्राई है, उसके बारे में तरन्त **ग्रापको एक्शन लेना चाहिए । पुलिस फोर्स** की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ग्रापको काम करना चाहिए जिसका कि एक लाभ होगा जो मैं पहले उल्लेख कर चुका हं । वहां जाने के बाद मैंने यह पाया कि सबसे बड़ी ममस्या है शिक्षित बेरोजगारी की । हमारे पास 400 के करीब सार्वजनिक उद्यम हैं. म्रगर दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह भी एक उनम में हम लगाने का काम करें तो करीत 4,000 से 8,000 या 10,000 लोगों को रोजगार दे सकते हैं उनने परिवारों को श्राप श्रपने पक्ष में कर सकते हैं : यह उनको एहसास करा सकते है कि सरकार वास्तव में उनके कल्याण में रूचि रखती है।

वहां के गणमान्य व्यक्तियों, प्रमख राजनीतिक कार्यकर्तात्रों ग्रौर प्रबद्ध नागरिकों की एक समिति बनाई जाए जो सलाहकार समिति के ऊपर, जैसे नेशनल इंटिग्रेशन काउंसिल ग्रापने राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है, उसका गठन करके जिसमें जम्म-कश्मीर के तीनों श्रंचलों से-लेह-शददाख से, जम्म से ग्रौर कश्मीर घाटी से, ऐसे लोगों को सम्मिलित करके राज्यपाल महोदय से यह कहा जाए कि उस समिति की सिफारिण पर जो शिकायत नागरिकों की या दूसरी वह लेकर ग्राएं उसके ऊपर त्रन्त कार्रवाई करें तभी वहां कृष्ट विश्वास पैदा हो सकता है जिसको आप काफिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात कहते हैं, वह बात-बात तक रह जाती है, कोई टोस काम तो उसमें हो नहीं पाता ।

इस प्रकार में चाहता है कि सरकार संसद की एक सिमिति भी गठित करे थ्रौर संसद के दोनों सदनों के ऐसे लोगों को उसमें सिमिलित करें जो उसमें रूचि रखते हों, समय देना चाहते हों श्रौर जब सेंशन नहीं चले, शनिवार, रिववार को वे कश्मीर में जाकर बैठें, लोगों की शिकायतें सुनें श्रौर

of the Constitution in relation to Jammu & Kashmir for a further Period of six months from 18th July, 1995

उनके पास जो चीजें ग्राएंट उन्हें वे लिखकर भेजें, सरकार उसकी काग्निजेंस ले उसके पर कारगर कार्रवाई करे ग्रौर इन दोनों समितियों को यह भी जिम्मा सौंपा जाए कि विकास के लिए, प्रगति के लिए जो भी पैसा दिया जाता है, उसके ऊपर खर्च होने का, उसको प्रगति का मानिटरिंग भी यह समिति करे।

रही विपक्ष की बात, ग्राप विपक्ष को एक तरह से इमोश्नली। ब्लैंकमेल करने का काम करते हैं,बिल्कुल अंतिम समय पर <del>ग्राकर हमारी गर्दन पर रख देते हैं</del> कि या तो वहां सैट्रल रूल एक्सटेंड कराइए नहीं तो स्थिति खराब होने जा रही है। थदि स्रापको विपक्ष को |देश्वास में लेनाहै तो ब्राप यह संकल्प करिए, गृह मंत्री महोदय, कल से यह सिमति बैठाइए श्रीर उनको विश्वास में रखिए, सारी चाजें उनके समक्ष रखिए, स्रापका सारा किया-कलाप पारदर्शी स्रौर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए नहीं तो हमें त्रिश्वास नहीं होगा कि ग्राप वहां सामान्य हालात चाहते हैं ग्रीर इसको स्राप देश की समस्या भानते हैं। श्राप इसे हमेशा श्रपनी समस्या मानकर श्रौर कश्मीर घाटी की समस्या मानकर मत चलिए, ग्राप इसे राष्ट्रीय समस्या मानकर चलिए और उसी क्राधार पर सभीकाविस्तारसंवाइद स्प्रेड इन्वॉल-मेंट करके ग्राप इस समस्या को हल करने क। कदम उठाइए ।

उपसभापति महोदया, में एक मिन्ट श्रौर लुगा श्रौर उसके बाद श्रपनी बात समाप्त कर द्गा । मैंने यह कहा कि जो भी राजनीतिक दल वहां चुनाव में ब्राएंगे, डा० फारूक प्रबद्दला से भी मेरी बात हुई ग्रौर दूसरे लोगों से भी, भारतीय सेविधान की परिधि के श्रंदर रहकर यदि कुछ अधिक स्वायत्ता देने से उन राज-नीतिक दलों को राजनीतिक प्रक्रिया में जुड़ने में सहायता मिल सकती है तो ऐसे सुझाव पर विचार अवण्य करना चाहिए।

370 की बात है, मैं भी पहले से 370 के विरोध में रहा हूं, पर मैं ग्राज पूछना चाहता हूं उन लोगों मे जो 370 हटाना चाहते हैं कि ग्राप हटा भी दीजिए तो कौन है वहां ऐसा माई का लाल जो वहां जाकर अपनी दुकान खोलेगा, अपना मकान बनाएगा ? आज वहां ऐसी परि-स्थिति नहीं है, इसलिए भ्राप यह बात छोड दीजिए, ग्रसंगत है, उसकी छोड़ दीजिए। अगर हमें राजनातिक दडों को, राजनीतिक कार्यकर्ताम्रों को भारतीय संविधान के ग्रन्दर रहना चाहते हैं, भारतीय संविधान के प्रति भ्रपनी निष्टा रखते हैं, उन्हें यदि ग्राप कुछ ऐसी दे सकें जिससे वे ग्रपने लोगों को कन्विंसस करने में सफल हों कि हम यह लेकर ग्राए हैं, इतना ग्रधिकार हमें मिला है, अब इसमें केन्द्र की तरफ से कोई इस तरह की दखल नहीं होगी, जो भी राज-नीतिक लोग होंगे निष्पक्ष रूप से वेचुने जाएंगे, चुनाव होगा, वह भी निष्पक्ष होगा, प्रशासन भी निष्पक्ष चलेगा स्रौर हम भ्रपना काम खुद करेंगे तो वहां सामान्य स्थिति बनाने में काफी स्विधा हो सकती है और ऐसे तत्वों को ग्राइ-डेंटिफाई करने का काम किया जाए जो इस राजनीतिक प्रक्रिया से जुड़ना चाहते हैं और सरकार इनिश्येटिव ले, वह पहल करे और हम विपक्ष के लोग इसमें सहयोग करने को तैयार हैं कि उनको बैटाकर इस राजनीतिक प्रक्रिया में जुड़ने की बात करे ग्रौर उनके द्वारा प्रस्तत की गई संविधान के श्रंतर्गत, मैं पृनः जोर देकर कहना चाहता हूं, इससे कोई गलतफहमी नहीं पैदा हो, भारत का हिस्सा रही है जितनी अधिक से अधिक उस प्रदेश को स्वायत्तता डे सकते हैं ग्रीर ग्रगर यह बात चल सकती है तो कश्मीर को ग्रभी भी बचाया जा सकता है । इसके साथ ही मैं श्राशा करता हुं कि गृह मंत्री जी, जो

seeking approval of continuation of Proclamation dated 18th July, 1990

Under article 356 of the Constitution in relation to Jammu & Kashmir for a further from 18th July, 1995 Period of six months

बिन्द मैंने उठाए हैं, उनके ऊपर प्रति-उत्तर देंगे । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपसभापति : मंत्री जी, जो बोलना चाह रहे थे, सब बोल चुके है, भीर कोई नाम मेरी लिस्ट में नहीं है।

SHRI S. B. CHAVAN: Madam Deputy Chairman, I must express greateful thanks to all the hon. Members who have given a large number of suggestions. Wherever they felt necessary, they have also criticised the Government for some kind of which, in fact, according to them, was not called for.

I can assure hon. Members that it is political pressund not because of any from any foreign country that we are going to hold elections in Jammu and Kashmir. It is far from the truth. Actually, both Pakistan and the terrorists and some other people are totally opposed to holding elections in that area. Some others might also be thinking that if we were to succeed in holding elections, this issue which, in fact, could be used for some political purposes in the international field, would not be there.

I do not minimise the criticism that the hon Members have made. I assure all the Members and through this House, the entire nation that are committed to holding free and fair elections. Please, for God's sake don't try to spread this kind of a canard that again threre is going to be rigging in that area and that somebody is going to be foisted on the Jammu and Kashmir people. Actually, nothing of type.

श्री सोमपाल: ग्रगर ग्राप ग्रनमति करे, विपक्ष के किसी सदस्य ने यह नहीं कहा । यह ग्राक्षेपपूर्ण बात है ग्रगर गृह मंती जैसे उत्तरदायित्वपूर्ण लोग ऐसा पहे

"try to spread a canard. We are not spreading a canard. We are all for elections. We have never said that the Government did not intend to hold elections. What we say is that you do not take tangible steps to restore the normalcy there. This is our charge We have never said that you were not holding elections.

SHRI S. B. CHAVAN: I request Som Palji to go through the proceedings too. I do not want to blame anyone. There were one or two Members. In fact, if you say this on the flood of the Housenobody seems to be interested in rest of the proceedings—such things will definitely spread like a wild fire. I can assure you on behalf of the Government that elections are going to be free and fair, and we do not propose to project anyone to be the leader of that They are certainly free to have elections, to choose their own leader, whosoever they want to, and to choose the method that they like to have But at the same time, if you say that, actually, this is going to be some kind an election in which you are going indulge in this way or that way, would like to repeat the same thing again. I can assure the hon. Members, Shri Malhotraji, this is not under the pressure of anyone. On the other hand,

I can say that there are vested interests who do not want elections at all. There are people who want to exploit this issue for political purposes. When I say "political purposes" if does not necessarily mean in our domestic area. They might be outside the country, Some 521 Statutory Resolution
seeking approval of
continuation of Proctamation dated 18th
July, 1990

Some people are more interested in exploiting this kind of an issue for political purposes.

It is a fact, and I cannot deny the same that there are some Government servants who, in fact are getting their salaries here, but they have been trained in Pakistan. I won't denv that. I would not deny that, but you will. perhaps, be happy to know that the Jammu and Kashmir Government taken action against them. I have got a list of those persons against whom the action has been taken under section 311 of the Constitution. They have dismissed from service. That process has been started, though I cannot possibly say that we have succeeded in taking action on this matter against everybody who is in this category. I also deny that some of the development money that we have been, in fact, giving to Jammu and Kashmir, has been going into the hands of the terrorists. But at the same time, since last year, a considerable amount of money has been given in order to see that Jammu and Kashmir gets some kind of development, which, in fact, is there in the rural and urban areas. So far they were given a different kind of treatment. Now, the kind assistance, which is made available to Jammu and Kashmir is 90 per cent in the form of grant and 10 per cent in the form of loan. A special grant was given to them last year amounting to about Rs. 950 crores, which, in fact, has been very handy in bridging the gap in resources. They were having a deficit Budget and somehow it was a perpetual thing, which was going on. In order to overcome this difficulty, we gave a special grant to them to expedite certain projects which are in an advanced stage

[1 JUNE 1995] Under article 356
of the Constitution
in relation to Jammu
& Kashmir for a further
Period of six months,
from 18th July, 1995

of completion in order to see that the benefits of those projects become available to them. Now a cell has been created in Jammu and Kashmir headed by Financial Commissioner. It comprises Secretaries of different Departments. A Special secretaries Committee has been appointed by the Prime Minister, which is looking into not only how the money is being spent, but also the question into whether in physical terms it has been properly spent or not. So, both these aspects are being monitored by Government of India. I feel quite confident that we will be able to spend more money on development and see that the youngmen who in fact, are unemployed in that area, get some kind of employment.

Shri Som Pal has said that a report has been submitted by a Police Officer saying that we require a strength 70,000 policemen in that area. I have no quarrel on this point, whether should be 70,000 or 50,000. It is a matter, which we will have to discuss. I cannot possibly immediately react to it and say, "Yes, we are prepared to do it." But one thing I can assure the hon. Member that in the recruitment which was done in he para-military forces and also in the local police, a large number of youngmen of that area have been rec-I am sure that this will send a proper message.

Among the migrants there has been a feeling that though assistance is given to all others, they have been completely neglected. I can assure you that those who have no been able to join the educational institutions, because they are not properly functioning, priority will be given to them not only in Jammu but in

523 Statutory Resolution [RAJYA SABHA]
seeking approval of
continuation of Proclamation dated 18th
July, 1990

1] Under article 356
of the Constitution
in relation to Jammu
& Kashmir for a further
Period of six months
from 18th July, 1995

[Shri S. B. Chavan] all other areas also and on a priority basis all such students will be able to get admissions in all the technical institutions. I was surprised, when objection was taken by the hon. Member, Prof. Vijay Kumar Malhotra on the statement which was made by the Prime Minister, to the use of the word short of 'Azadi'." It is a very vague term. I do not think you can take objection to that. Try to understand that. You might be having some kind of approach in your mind and from that point of view you might consider that you are going to grant Azadi. Whether it is going to be Azadi or not, ultimately, the Prime Minister is going to come before this House and I am sure he will be able to explain what are the contents of the package that he had in mind, and whether it meets the aspirations of the local people or not. You will be able to judge that after you get the statement from the Prime Minister.

विपक्ष के नेता (श्री सिकंबर कहन): इरादा तो नहीं था कि दखल दूं लेकिन मैं सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब प्रधान मंत्री जी का यहां बयान हुमा, उनके बयान के बाद मैंने उस पर ऐतराज किया था। प्रधानमंत्री ने बेगनेस को दूर करने की कोशिश नहीं की। सीधा मैसज था, बहुत सीधा बयान था, स्टेट फारवर्ड था। वह बड़ा भयानक बयान था। अगर प्रधान मंत्री जी सोचते थे कि हम लोगों ने जो ऐतराज किया था, वह टीक नहीं था तो उनको बयान के फौरन बाद जवाब देना चाहिए था।

भी एस०बी० बक्हाण : उन्होंने उस वक्त जबाब नहीं दिया उसके मायने यह नहीं कि उनके दिल में यही बात है । यह कहना गलत है । जब तक ग्रापके सामने स्टेटमेंट नहीं भाती है, उस वक्त तक श्राप नहीं कह सकते हैं कि जो बात उन्होंने कही, उसके मायने वही हैं, जो ग्रापके दिल में है । यह जो ग्राप कहना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि यह दुरूस्त नहीं होगा ।

Madam, I would like to say one more thing. Prof. Malhotra also raised a point about having discussion with these people. I do not know why we should take objection to this. In Assam, we have done the same thing. In other North-Eastern States, we are doing the same thing. Even

525 Statutory Resolution
seeking approval of
continuation of Proclamation dated 18th
July, 1990

if they are militants, if they are able to talk, let us at least probe their minds and try to understand what exactly are their problems. A number of things are done due to misinformation and due to the kind of information which is being spread by Pakistan. These young men may fall prey to this misinformation campaign and that is why ther, is nothing wrong if we discuss matters with them and try to find out what exactly they would like to have and whether they are really interested in a merget with Pakistan or they would like to be independent. I am sure we will be able to get information which, in fact, is very badly called

for.

I would also request the House to kindly bear in mind that it is not a fact that the people of Jammu and Kashmir are totally alienated. It is not a fact. The situation in Punjab was different situation in this area is While the totally different. In fact, the people of Jammu and Kashmir are also equally patriotic. But fear of gun is there, due to which they are not able to express what they have in their minds. That is why unnecessarily, we should not have this kind of a feeling among ourselves that these are the people who, in fact, are totally alienated.

Regarding holding of elections in that area, I can well understand that the voting percentage may not be as good. In Punjab also the same thing happened. In Assam also, the same thing happened. But thereafter thing have improved. Now, almost normal situations are prevailing in both the areas. I don't think by any stretch of imagination, you can have a different yardstick for Jammu and Kashmir, I don't believe it. I am not prepared to accept this position that people at large are totally alienated. It is not a fact. In fact, it is the fear of gun because of which they are not able to express themselves. That is why we will have to go in for elections, have a repre-

[1 JUNE 1995] Under article 356
of the Constitution
in relation to Jammu
& Kashmir for a further
Period of six months
from 18th July, 1995

sentative Government in that area. Thereafter let them decide what they would like to have in Jammu and Kashmir instead of our deciding here and going into all the details of the case.

I am greateful to the hon. Member, Mr. Venod Sharma, for making certain suggestions. About migrants, he said a number of things. There is one thing which is a matter for the Chief Election Commissioner to decide while allowing them to enroll themselves as voters because they were not living in that area. They were living in Jammu. They were living in Delhi and in different cities. But, at the same time, the Election Commission has allowed them to enroll themselves as voters. I have no doubt in my mind that the Election Commission will also try to find some way out by which they should be able to exercise their franchise. And let them not have this kind of a grievance in their mind that elections were held but they were not allowed to vote in that area. That is a thing which will have to be dispelled.

I have replied to the point of Dr. Biplab Das Gupta in a general manner. Regarding article 370, the position it absolutely clear. Of course, certain sections of the House are opposed to the idea. But I am pretty sure that a majo rity of the House definitely believes in retaining article 370 which, in fact, was mainly responsible for retaining Jammu and Kashmir in spite of an adverse atmosphere that has been created. It is be cause of article 370 that some kind of an assurance has been given. If they certainly, on a broad want autonomy, basis, we will have to consider as to how far we can possibly go and give them the kind of package which will satisfy their aspirations. If not fully, at least partially, we should be able to meet what they have in mind.

I do not think that Mr. Chaturanan Mishra, when he spoke of the JKLF and

527 Statutory Resolution [RAJYA SABHA]
seeking approval of
continuation of Proclamation dated 18th
July, 1990
F

[श्री एस० बी० चब्हाण]

others and asked why they did not condemn the activities of those people..... (Interruptions)....

उसके जवाब की जरूरत नहीं है।

But I agree with him and we will definitely call a meeting of all the political parties, take them into confidence and discuss the whole thing absolutely clearly. There is nothing to hide. We will be able to discuss a large number of issues and transparency will be there. There will be no question of any other thing in our mind.

These were the different points which the hon. Members raised. To the extent possible, I have tried to rpply to all the points.

Madam, I would now request the House to adopt this Resolution.

श्री सिकन्दर बख्त : एक गुजारिश थी। वह जो ग्राजादी से कम का मामला था, क्या ग्राज गवर्नमेंट उस सिलसिले में सफाई का बयान देने के लिए तैयार है ?

الشرى سكندر بخت ! ائيت گزادش تقى - وه جو از ادى سے كم كا سما مارتغا كياك گذرتمنى (من سيلسيل سين صغائ كا بيان دين كيك تياد عياد ع

श्री एतः बीः चव्हाणः जब प्राइम मिनिस्टर श्रापके सामने पैकेज लेकर तफसीस Junder article 356
of the Constitution
in relation to Jammu
& Kashmir for a further
Period of six months
from 18th July, 1995

के साथ ग्रायेंगे उस वक्त इसकी जानकारी ग्रापको मिल जाएगी ।

श्री सोमपाल उपसभापित जी, एक संसदीय समिति के गठन का सुझाव मैंने दिया था। मैं गृह मंत्री जी से चाहूंगा कि रिस्पांड करें —कश्मीर के मामले में।

श्री एस० बी० चव्हाण: प्रभी तो मैंने कहा कि सारी पोलिटिकल पार्टीज की भीटिंग मह बुलायेंगे। जो पार्टी लीडर्स हैं उन लोगों को बुलाकर उनके साथ बातचीत की जाएगी।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Resolution to vote.

The question is:

That this House approves the continuance in force of the Proclamation issued by the President on the 18th July, 1990 under article 356 of the Constitution in relation to the State of Jammu and Kashmir, for a further period of six months with effect from the 18th July, 1995.

The motion was adopted.

SHRI S. B. CHAVAN: Madam, shall I make the statement now?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Chavan Saheb, before you make the statement, I have a request to make to Members. (Interruptions).

SHRI S. S. AHLUWALIA: The Minister is in labour already.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Minister is in great pain

SHRI AJIT P. K. JOGI: It will not be a normal delivery. It has to be a Caesarean one. (Interruptions).

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is the Ministry. I cannot help it. He is the Minister of Labour. It is the Prime

July, 1990

Minister who give him that job(Interruptions). He has to labour hard and in that process, he gets some pain.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: In spite of the fact that he is under labour, he is laughing.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Some people are bold enough to laugh.... (Interruptions). Chavan Saheb, statement was listed to be a 5 o'clock. It was in reply to the matter raised regarding the atrocities on he Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Gujarat. \*may I make a request to the Members? before have three names for clarifications. Having said that, I would also bay that the right of Members to ask for clarifications is not going to be curtailed and is not going to be withdrawn, but as we have the Maternity Benefit Bill pending and we are short of time can I ask the Home Minister to lay it on the Table of the House? I have three names. One is Mr. Mahendra Singh Kalyan who is not here in the House. I have the names of Mr. Jagesh Desai and Mr. Parmar. The two Members are present here but I request both the Members that they may read the statement which the Home Minister has brought and if you think that there are still certain points in your mind, You can ask about them at some other time but not today.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA): Madam, may I clarify things?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes. Sure, sure.

ALVA: SHRIMATI MARGARET Madam, I had requested the Members already. Since yesterday there had been detailed questions and comments made on the floor of the House on this issue.

Under article 356 [ 1 JUNE 1995 ] of the Constitution in relation to Jammu & Kashmir for a further Period of six months from 18th July, 1995

> The hon. Home Minister had said that he would get information based on the queries which had been raised and would come back to the House and then make a statement. I, therefore, request the Members that since it was a reply to the clarifications already sought on the floor of the House, there would be no need for seeking clarifications on clarifications. So, the Members had very kindly agreed that they would not raise clarifications. Since they had already asked questions yesterday, I would request that this Statement be taken as a reply to those queries and we close the matter there.

SHRI AJIT P. K. JOGI (Madhya Pradesh): Provided they also do not ask questions, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Nobody is asking.

SHRI M. A. BABY (Kerala): Madam, since they are withdrawing, we do not propose to give our names.

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra); Madam, I want to have some information. I have got a information that the Chief Minister, Mr. Patil and some officers of the Home Ministry have come to Delhi today to meet the Union Home Minister. I want to know whether it is right or wrong.

SHRIMATI MARGARET ALVA: That is why I said, based on the information received the Minister is going to make a statement.

SHRI AJIT P. K. JOGI: We have. agreed to it. Let the hon. Home Minister make his statement. Since nobody else is asking, we also will not ask.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him lay it on the Table because we will have a Half-an-Hour Discussion after the Bill is passed.